न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:— 262 / प्रा0पत्र / 2023

दायरा दिनांक :—19.12.2023

GCMS ID—2023 / 156

1. सूरज आ0 मूलचन्द जाति दरोगा ग्राम सांवतगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. अनिता पुत्री मूलचन्द जाति दरोगा ग्राम सांवतगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. दुर्गाबाई पत्नी मूलचन्द जाति दरोगा ग्राम सांवतगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. जयसिंह आ0 मूलचन्द जाति दरोगा ग्राम सांवतगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. सत्यनारायण आ0 मूलचन्द जाति दरोगा ग्राम सांवतगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. शोजीसिंह आ0 जोध्या जाति दरोगा निवासी ग्राम सांवतगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
7. मोहन आ0 जोध्या जाति दरोगा निवासी ग्राम सांवतगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।
2. महेन्द्र आ0 मोतीलाल जाति दरोगा निवासी सांवतगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. सुवा पिता रामचन्द्र जाति दरोगा निवासी सांवतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :— श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थी :— एक पक्षीय कार्यवाही

दिनांक :— 30 / 05 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा संख्या 585 रकबा 0.4209 हैक्टेयर, खसरा संख्या 586 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.5828 हैक्टेयर वाके ग्राम सांवतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थी 1 लगायत 5 के खातेदारी में दर्ज है। भूमि खसरा संख्या 589 रकबा 1.1979 हैक्टेयर वाके ग्राम सांवतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थीगण के सुवा पिता रामचन्द्र, महेन्द्र पुत्र मोतीलाल के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। भूमि खसरा संख्या 19 रकबा 0.2266 हैक्टेयर, खसरा संख्या 525 / 111 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा संख्या 72 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, खसरा संख्या 76 रकबा 0.0647 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.3111 हैक्टेयर वाके ग्राम नीमोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

खातेदार मूलचन्द पिता जोधू जी थे तथा चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि के सहखातेदार मूलचन्द जी थे मूलचन्द का देहान्त हो चुका है मूलचन्द के वारिसानों का सजरा प्रार्थना अनुसार है। मूलचन्द की मृत्यु क समय उनका पुत्र सुरज नाबालिग था जो वर्तमान में 20 वर्ष का हो चुका है तथा पुत्री रानी भी व्यस्क हो चुकी है जिसकी आयु 18 वर्ष है। प्रार्थीया रानी व सुरज की नाबालिग अवस्था में ही पिता मूलचन्द जी की मृत्यु 2007 में हो चुकी थी पिता की मृत्यु के बाद उपरोक्त भूमियों में दर्ज की गई विरासत में सुरज के बजाय मूरली दर्ज कर दिया व रानी की बजाय अनिता दर्ज कर दिया जो इन्द्राज गलत है। मूलचन्द जी के अनिता की पुत्री व मूरली नाम का कोई पुत्र नहीं है। प्रार्थीया रानी व सुरज के सभी सरकारी दस्तावेजों में अपना नाम रानी पुत्री मूलचन्द व सुरज पुत्र मूलचन्द दर्ज है, आधार कार्ड, राशनकार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजात आदि में प्रार्थीया रानी का नाम रानी पुत्री मूलचन्द व सुरज पुत्र मूलचन्द दर्ज है। लेकिन उपरोक्त भूमियों की ज़माबंदी में पटवारी हल्का ने रानी की जगह अनिता दर्ज कर दिया है और सुरज की जगह मूरली दर्ज कर दिया है जो इन्द्राज अशुद्ध व गलत होने से निरस्तनीय है। प्रार्थी की माता ने उपरोक्त भूमियों पर बैंक से ऋण प्राप्त करने वास्ते दिनांक 15.12.2023 को नकल निकलवाई तब प्रार्थीया रानी व सुरज का नाम जमाबन्दी में गलत दर्ज होने की जानकारी मिली है। उक्त जानकारी मिलने पर दिनांक 18.12.2023 को ही तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर जमाबंदी में दर्ज किये गये उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने का निवेदन किया लेकिन तहसीलदार साहब ने इन्द्राज पुराना हो जाने की वजह से दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया तहसीलदार साहब द्वारा इन्द्राज दुरूस्त करने से इन्कार कर देने से प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण अन्तिम रूप से दिनांक 18.12.2023 को उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीया रानीबाई उपरोक्त जमाबन्दी में दर्ज अनिता के नाम को विलोपित करवाये/दुरूस्त करवावे साथ ही प्रार्थी सुरज जमाबन्दी में दर्ज अपनें नाम मूरली के इन्द्राज को विलोपित/दुरूस्त करवावे तथा अन्य सरकारी दस्तावेजों के अनुरूप जमाबन्दी के अपना नाम शुद्ध करवावे। श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। प्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 भूमि के सहखातेदारी होने से प्रार्थी पक्षकार बनाए गए है। तथा अप्रार्थी महेन्द्र व सुवा भूमि के सहखातेदार होने से प्रार्थी प्रार्थना पत्र पर साईन करने हेतु उपस्थित नहीं होने से इनको अप्रार्थी बनाया गया है। प्रार्थी अप्रार्थी 2 लगायत 3 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहते है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 585, 586, 589 वाके ग्राम सांवतगढ की राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में भूमि में व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 19, 525/111, 72,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

76 वाके ग्राम नीमोद की राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज अनिता पुत्री मूलचन्द के इन्द्राज को दुरूस्त कर/निरस्त कर रानी पुत्री मूलचन्द दर्ज करने तथा मूरली पुत्र मूलचन्द के स्थान पर सुरज पुत्र मूलचन्द दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। साथ ही प्रार्थी सुरज व रानी के अन्य सरकारी दस्तावेजों कें अनुरूप उपरोक्त भूमियों में नाम के इन्द्राज को शुद्ध कर गलत इन्द्राज अनिता पुत्री मूलचन्द व मूरली पुत्र मूलचन्द को विलोपित कर राजस्व रिकॉर्ड में रानी पुत्री मूलचन्द व सुरज पुत्र मूलचन्द करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा बावजूद तामिलों के पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने जवाब बंद किए जाने के आदेश दिए गए।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार हिण्डोली की ओर से नायब तहसीलदार दबलाना ने पत्रांक :– राजस्व/25/721 दिनांक :–20.05.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट पेश कर अंकन किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम सांवतगढ पटवार मण्डल सावंतगढ के खाता संख्या 359, 237 में दर्ज अपने नाम मुरली पुत्र मूलचन्द व अनिता पुत्री मूलचन्द के स्थान पर क्रमशः सुरज पुत्र मूलचन्द व रानी पुत्री मूलचन्द व खाता संख्या 144 ग्राम नीमोद पटवार मण्डल सांवतगढ में दर्ज अपने नाम मुरली पुत्र मूलचन्द व अनिता पुत्री मूलचन्द के स्थान पर क्रमशः सुरज पुत्र मूलचन्द व रानी पुत्री मूलचन्द दर्ज करवाना चाहते है, जिसके संबंध में मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/मौतबिरान व्यक्तियों व सहखातेदारान द्वारा उक्त खाता नम्बरों में दर्ज सहखातेदार मुरली पुत्र मूलचन्द व सुरज पुत्र मूलचन्द एक ही व्यक्ति के नाम है एव अनिता पुत्री मूलचन्द व रानी पुत्री मूलचन्द एक ही महिला के नाम है जिनको मुरली पुत्र मूलचन्द के स्थान पर सुरज पुत्र मूलचन्द एंव अनिता पुत्री मूलचन्द के स्थान पर रानी पुत्री मूलचन्द शुद्ध दर्ज किया जाना उचित होगा।

पेरोकार सरकार ने मुताबिक जॉच नायब तहसीलदार दबलाना के आधार पर अपने जबाव में प्रार्थीगण का सही नाम सुरज व रानी होने से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अशुद्ध नाम मुरली व अनिता के स्थान पर सही नाम सुरज पुत्र मूलचन्द एंव रानी पुत्री मूलचन्द शुद्ध दर्ज किया जाना सही बताया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का सही

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

नाम सुरज पुत्र मूलचन्द व रानी पुत्री मूलचन्द है, जिसको मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को जवाब पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, माध्यमिक परीक्षा 2024, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, पूरक परीक्षा 2022, परिवार राशन कार्ड ग्राम सांवतगढ, जनाधार कार्ड, ग्राम पंचायत सांवतगढ प्रमाण पत्र पेश किए है जिनमें प्रार्थीगण का नाम सुरज पुत्र मूलचन्द व रानी पुत्री मूलचन्द अंकित है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थीगण/ पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष मुताबिक जॉच रिपोर्ट के दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम सावंतगढ पटवार मण्डल सावंतगढ के खाता संख्या 359, 237 में दर्ज अनिता पुत्री मूलचन्द व मुरली पुत्र मूलचन्द एवं खाता संख्या 144 ग्राम नीमोद पटवार मण्डल सावंतगढ में दर्ज अनिता पुत्री मूलचन्द व मुरली पुत्र मूलचन्द के स्थान पर रानी पुत्री मूलचन्द व सुरज पुत्र मूलचन्द शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 30.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email: sdmhindoli@gmail.com Phone no-7436276446